कार्यालय कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, नीमच जिला नीमच (म.प्र.) (कार्या.कोड–0237)

फोन नं. 07423–232411, ईमेल eewrd_neemuch@yahoo.co.in

पत्र क्रमांक 2599 /कार्य–113/वन प्रकरण/2020 दिनांक 08/09/2020

प्रति,

कलेक्टर

जिला नीमच

विषय :– गंगाबावड़ी, बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना के बदले में प्राप्त राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास विषयक।

संदर्भ :– वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल नीमच का पत्र क्र. 5634 दिनांक 07.09.20

******

उपरोक्त विषय में लेख है कि जल संसाधन विभाग की गंगाबावडी, बाण्दा एवं परवनी जलाशय की डूब प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को आवंटित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग के अमले की संयुक्त उपस्थिति में किया जाकर तत्पश्चात् आवंटित भूमि का कब्जा तहसीलदार सिंगोली द्वारा दिनांक 08.07.2020 को वन विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया। कब्जा सौंपते समय आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं था। इस बात का स्पष्ट उल्लेख राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त अमले द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामे में स्पष्ट रूप से दिया गया है।

वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जल संसाधन विभाग की गंगाबावडी, परवनी एवं बाण्दा जलाशय योजना के बदले में वन विभाग को आवंटित भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण का प्रयास करने एवं साथ ही ग्रामीणों की धार्मिक भावना हुडी हुई होने से अतिक्रमण को विफल करने पर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने बाबत उल्लेख किया है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण कानून व्यवस्था से जुडा होने के कारण आपके स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद/तहसीलदार सिंगोली को निर्देशित कर भूमि अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध है।

SDM Jawad / त्वरित कार्यवाही करें। Singhore

(हस्ताक्षर) 8.9.2020

(जी. एस. डावर)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, नीमच

पृष्ठा. क्र. 2600 /कार्य–113/वन प्रकरण/2020 दिनांक 08/09/2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8.9.2020

(जी. एस. डावर)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, नीमच

F:\nitin ...